



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 229]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017

सा.का.नि. 288(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 29 नवंबर, 2016 में प्रकाशित, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1098(अ), तारीख 28 नवंबर, 2016 में,—

पृष्ठ 4 के पैरा 4 पर,

“व्यैक्तिक वेतन को प्रतिक्षा सूची में परस्पर-ज्येष्ठता का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए विचार में लिया जाएगा।”

के स्थान पर,

“व्यैक्तिक वेतन को प्रतिक्षा सूची में परस्पर-ज्येष्ठता का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

पढ़ें;

[फा .सं. 12033/1/2016-नीति.II]

धर्मेन्द्र, संयुक्त सचिव